न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः–300 / 2022 दायर दिनांक 16.12.2022

जीसीएमएस आई0डी0ः–2022 / 773

1. धर्मो उम्र 70 साल पत्नि रामस्वरूप
2. नमोनारायण उम्र 23 साल पुत्र रामस्वरूप
3. प्रेम उम्र 55 साल पत्नि रामस्वरूप
4. भगवानसहाय उम्र 20 साल पुत्र रामस्वरूप
5. लक्ष्मीबाई उम्र 18 साल पुत्री रामस्वरूप
6. संतोष उम्र 27 साल पुत्र रामस्वरूप

} जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

——सायलान–06

बनाम

1. बाबू उम्र 70 साल पुत्र सोनपाल
2. रामोतार उम्र 40 साल पुत्र केदार
3. सुरेन्द्र उम्र 25 साल पुत्र हरि
4. धर्मेन्द्र उम्र 20 साल पुत्र हरि

} जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

——गैरसायलान–04

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री राधेश्याम शर्मा वकील सायलान
2. श्री देवीसिंह गैरसायलान

निर्णय दिनांकः– 30-5-2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल द्वारा जरिये वकील दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी हाल खसरा न0 2752 रकबा 0.52 है. वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी स्थित है। उक्त आराजी को सायलान ही काश्त कर उपयोग उपभोग व लगान अदा करते चले आ रहे हैं। गैरसायलान का उक्त आराजी से कोई संबंध वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

सायलान की उक्त आराजी खसरा नं. 2752 के पश्चिम दिशा में मेन रोड हरिनगर से झारेडा आ रहा है तथा उक्त रास्ते से सायलान की उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में करीब 10 फीट चौडा रास्ता कुआ खसरा नं 2[illegible] होते हुए पूर्व दिशा की तरफ भौमिया व हनुमान जी के मन्दिर तक रास्ता आ रहा है जो सायलान ने उका रास्ता अपनी निजी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 2752 में होकर छोड रखा है, जिससे सायलान व अन्य सभी लोग हनुमान जी के मन्दिर व भौमिया बाबा के स्थान तक दर्शन व पूजापाठ करने आते जाते रहते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested

सायलान की उक्त भूमि खसरा नं. 2752 में रास्ते को छोडकर दक्षिण दिशा की तरफ खसरा नं. 2753 घमण्डी पुत्र रामफूल व मुस. दखली पत्नी ठण्डी व मुकेश पुत्र ठण्डी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है, लेकिन गैरसायलान उक्त आराजी को उक्त खातेदारों से कय करना बताते हैं, जबकि आज भी उक्त भूमि खसरा नं. 2753 की खातेदारी गैरसायलान के नाम नहीं है।

वाका दिनांक 14.12.2022 को समय सुबह 9 बजे का है कि सायल संतोष व नमोनारायण अपने खेत की सार संभाल करने गये तो गैरसायलान, सायलान के खेत खसरा नं. 2752 के दक्षिण दिशा में जो निजी रास्ता है, उसमें सात फीट जमीन को दबाते हुए नींव खोद रहे थे। तब सायल संतोष व नमोनारायण ने कहा कि भाई आप यह क्या कर रहे हो, यह रास्ता हमने हमारी निजी खातेदारी की भूमि मे हनुमान जी व भौमिया बाबा के स्थान तक जाने के लिए छोड रखा है. आप लोग इस पर नीव क्यों खोद रहे हो। तब गैरसायलाग में कहा कि में उक्त रास्ते की भूमि को भूमि खसरा नं. 2753 में मिलाउंगा तथा तुम्हें बेदखल करूंगा, रास्ते को अवरूद्ध करूंगा तथा पक्का डण्डा करूंगा। तब सायलान ने गैरसायलान से काफी अनुनय विनय किया लेकिन गैरसावलान ने सायलाग से एलानियां धमकी दी कि मैं एक दो दिन में उक्त रास्ते की भूमि की खसरा नं 2753 में मिलाकर तुम्हें बेदखल करूंगा, तुम्हें करना हो सी कर लेना। तब सायलान ने अपने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल ली तथा प्रार्थनापत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

गैरसायलान ने सायलान की भूमि खसरा नं 2752 के दक्षिण दिशा की तरफ जो रास्ते की भूमि 10 फीट छोड रखी है. उस पर नीव खोदकर निर्माण कर लिया व सायलान को बेदखल कर दिया तो हनुमान जी के मन्दिर व भौमिया बाबा के स्थान तक आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो जायेगा, सायलान को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पक्षकारान में मुकदमाबाजी बढेगी, सायलान बर्बाद हो जायेंगे, जिसकी पूर्ति [illegible] है, इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना [illegible] न्यायसंगत है। गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हें किसी प्रकार की [illegible] नहीं है। जबकि पाबंद न करने की सूरत में गैरसायलान अपने गैरकानूनी [illegible] में कामयाब हो जायेंगे, जिससे सायलान का दावा पेश करने का मकसद ही फौत हो जावेगा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested

सायलान को भारी हकतलफी होगी। सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बखूबी रूप से प्रमाणित हैं। प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी हाल खसरा नं. 2752 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाकेतन ग्राम झारेडा, तहसील हिण्डौन सिटी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में न तो बाधा मजाहमत स्वयं पैदा करें, ना ही किसी अन्य से करावें तथा सायलान की उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में जो रास्ता 10 फीट चौडा हनुमान जी मन्दिर व भौमिया बाबा के स्थान के लिए छोड रखा है, उस पर नींव खोदकर न तो कोई निर्माण स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे सायलान के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजीका कर गैरसायलान को जरिये नोटिस जारी किये। गैरसायल न0 1 ता 4 की ओर से श्री देवीसिंह अधिवक्ता द्वारा वकलातनामा एवं जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधज्ञा का मद नम्बर 1 जिस प्रकार तहरीर किया है गलत होने से अस्वीकार है सायल को गैरसायलान के खिलाफ कतई गलत दावा बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा बिना किसी आधार के पेश कर दिया है जिसमें सायलान को कोई सफलता नहीं मिल सकती है।
2. प्रार्थनापत्र का मद नं0 2 में आराजीयात का स्थित होना स्वीकार है, आराजी खसरा नम्बर 2752 रकवा 0.52 है0 की दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 2753 रकवा 0.09 है० भूमि स्थित है जिनके मध्य में डौलमेंढ बनी हुई है। जिसकी खातेदारी घमंडी पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी झा[illegible] हिण्डौन की राजस्व जमाबंदी आदि में दर्ज हो रहा है [illegible] का कोई सम्बन्ध नहीं है, जिसमें गैरसायल नं० 1 बाबू पुत्र [illegible] कृषि कार्य करता रहा है।
3. प्रार्थनापत्र का मद नम्बर 3 जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत होने से अस्वीकार है। आराजी खसरा नम्बर 2752 के पश्चिम दिशा में मैनरोड हरीनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested

से झारेडा होना स्वीकार है। इस रास्ते से सायलान ने उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण दिशा में 10 फिट चौडा रास्ता कुआँ खसरा नम्बर 2769 में होते हुये पूर्व दिशा की तरफ भौमिया व हनुमानजी के मंदिर तक रास्ता जाना स्वीकार है इस रास्ते में खसरा नम्बर 2753 में से दक्षिण डीलमेड को तोडकर करीब ढाई फुट भूमि दबाकर 10 फिट चौडा रास्ता में गैरसावल नं. 1 के कब्जे की भूमि में से मिला रखा है, सायलान व गैरसायल नं. 1 के कब्जे की भूमि में से 10 फिट रास्ता में सरपंच ग्राम पंचायत झारेका ने सीमेंट की ईंटों से इन्टरलोकिंग रास्ता आम का पटाव कर पुख्ता आम रास्ता दिनांक 09.02.2023 को निर्मित कर दिया है। इस पुख्ता आम रास्ते के पूर्व पश्चिम में आवागमन चालू हो गया है. जिससे स्पष्ट है कि सायलान के खसरा नम्बर 2752 व खसरा नम्बर 2753 के मध्य बनी डौलमेढ का वादीगण का कोई विवाद शेष नही रहा है।

4. प्रार्थनापत्र का मद नम्बर 4 खसरा न0 2753 रकवा 0.09 है० भूमि के खातेदार घमण्डी पुत्र रामफूल मीना निवासी झारेडा की कब्जेकाश्त व बाहामी बटवारे में आई भूमि को गैरसायल नं0 7 बाबू को आषाढ बुदी 6 सं. 2044 तदानुसार दिनांक 17.06.1987 को मु० 7000/—रूपया सात हजार रूपया में विक्रय कर विक्रित रकवा 0.09 है० भूमि पर कब्जा मौके पर संभला दिया विक्रेता घमण्डी पुत्र रामफूल 7 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। तथा इस विक्रित भूमि में से 1/2 भाग गैरसायल नं० 1 ने गैरसायल नं0 2 रामोतार को विक्रय कर दिया, जिसमें गैरसायल नं. 2 खसरा नम्बर 2752 के 10 फुट पुख्ता रास्ता की भूमि को छोडकर खसरा नम्बर 2753 की सीमा में होकर पुख्ता बाउण्ड्री तामीर कर ली है और प्रतिवादी सं० 2 खरीद की गई भूमियों पुख्ता मकान का निर्माण कर रहा है, गैरसायल सं. 2 ने मकान की आरसीसी व प्लास्टर कर लिया है जिसमें दरवाजे व आलमारी लगा दी है। जिसमें सायलान व सायला नं० 1 दखल अंदाजी व परेशान करने के लिये गैरसायल के विरूद्ध सुंठा मुकदमा कर नाजायज परेशान करने के लिये कर दिया है। मद नं. 1, 2 व 4 विवादित भूमि के प्रार्थनापत्र में अनावश्यक पक्षकार बनाकर हैरान परेशान करने की गरज से पक्षकार मुकदमा बना दिया है तथा सायला नं. 6 लक्ष्मी बाई नाबालिग है जो करीब 14 वर्ष की लडकी है जिसको पटवारी हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.02.2023 में दर्ज कर रखा है। पटवारी हल्का ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gujar
Date: 2025.07.01 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2752 का कोई विवाद गैरसायलान को नहीं बताया है। शेष उजात मजीद में दर्ज है।

5. प्रार्थनापत्र का मद नम्बर 5 मनगढन्त लिखा होने से अस्वीकार है। दिनांक 14.12.2022 को सुबह 9 बजे या अन्य किसी भी दिन गैरसायलान की सायलान से कोई बातचीत नही हुई है इस मद में सभी तथ्य सायलान ने कपोल कल्पित लिखे है अब मौके पर सायलान ने 10 फुट चौडाई के रास्ते में व समूल गैरसायल नं. 1, 2 के कब्जे की भूमि में होकर ग्राम पंचायत झारेडा ने इन्टर लॉकिंग सडक का निर्माण दिनांक 09. 02.2023 को पूर्ण कर दिया है, जिसमें आवागमन मौके पर चालू है, खसरा नम्बर 2752 की भूमि ढाई फिट भूमि खसरा नम्बर 2753 में होकर बन गया है तब गैरसायलान द्वारा सायलान को विवादित भूमि से बेदखल करने व धमकी देने वाली बात स्वतः ही झूठी हो जाती है। प्रार्थनापत्र, सायलान इल एडवाईज से पेश करने से खारिज होने योग्य है। शेष उजात मजीद में दर्ज है।

6. प्रार्थनापत्र का मद नम्बर 6 गलत होने से अस्वीकार है सायलान ने खसरा नम्बर 2752 के दक्षिण दिशा की तरफ 10 फिट भूमि में सम्पूर्ण खसरा नम्बर 2753 की ढाई फिट भूमि में गैरसायलान नीच खोदकर कोई निर्माण नहीं किया है बलिक गैरसायल नं० 2 ने ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित इन्टर लॉकिंग रास्ता के निर्माण के बाद पुख्ता मकान की आरसीसी करली है, तथा प्लास्टर कर मकान बना लिया है, खसरा नम्बर 2753 में निर्माण किया है जिसमें सायलान को बेदखल करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है, हनुमानजी के मंदिर व भौमिया बाबा के स्थान तक आने–जाने का रास्ता बन चुका है जिसमें होकर आवागमन काफी दिनों से चल रहा है जिसमें सायलान को कोई आर्थिक मानसिक, शारीरिक परेशानी पैदा नहीं है जबकि सायलान की बेझा हरकत से गैरसायल नं0 2 को मकान निर्माण करने में व्यवधान उत्पन्न होने से भारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिये सायलान को [illegible] के लिये पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। सायलान [illegible] किसी [illegible] करना बखुबी साबित है।

7. प्रार्थनापत्र का मद नम्बर 7 कतई गलत होने से अस्वीकार है दिनांक 14.12.2022 या अन्य किसी भी दिन कोई बातचीत नहीं हुई जहाँ विवादग्रस्त भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested

दक्षिण दिशा की ओर पुख्ता आम रास्ता इन्टर लॉकिंग ईटें ग्राम पंचायत झारेडा द्वारा दिनांक 09.02.2023 को बना दिया है तक कोई विवाद किसी प्रकार का गैरसायलान से शेष नहीं रह जाता है खसरा नम्बर 2752 समूल खसरा नम्बर 2753 में से 10 फिट के रास्ते में कोई रूकावट नहीं होने से एवं आवागमन आगे अलीपुरा वाली सडक तक पुख्ता रास्ता में होकर आवागमन चालू होने से सायलान को वादकारण उत्पन्न नहीं होने से दावा सायलान खारिज होने योग्य है।

8. प्रार्थनापत्र टी०आई० का मद नम्बर 8 मलत होने से अस्वीकार है गैरसायलान को जरिये टी०आई० से पाबंद कर दिया तो गैरसायलान को भारी अपूर्तणीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है इस प्रकार से सुविधा का संतुलन गैरसायलान के हक में बखूबी साबित है।

प्रार्थनापत्र हाजा में सायलान द्वारा खसरा नम्बर 2752 के दक्षिण दिशा की तरफ गैरसायलान से 10 फिट रास्ते का विवाद बंताया है जिसमें ग्राम पंचायत झारेडा द्वारा श्री हनुमानजी व भौमिया बाबा तक एवं अलीपुरा की सड़क तक पुख्ता आम रास्ता इन्टर लॉकिंग सीमेन्ट की ईंटो से निर्माण कर दिया है जिसमें दिनांक 09.02.2023 से आवागमन चालू है। गैरसायल नं. खसरा नम्बर 2752 के 10 फिट रास्ते की भूमि में बने रास्ते की भूमि छोडकर खसरा नम्बर 2753 की भूमि में बाउण्ड्री बाल व पुख्ता मकान निर्माण कर रहा है, जिसमें सायलान को कोई परेशानी असुविधा नहीं होने से प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। विवादग्रस्त भूमि पर सायलान का कब्जा नहीं होने से प्रार्थनापत्र कब्जे के अभाव में खारिज होने योग्य है। प्रार्थनापत्र हाजा में सायला नम्बर 5, 14 वर्ष की नाबालिग पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.02.2023 में दर्ज होने से सायला नम्बर 5 की ओर से वली अदालत नियुक्त किया जाना आवश्यक है। गैरसायल नं0 3 व 4 को अनावश्यक पक्षकार मुकदमा बनाने से दावा हाजा में पार्टी नुक्स ऐराईज उत्पन्न होता है। खसरा नम्बर 2752 के दक्षिण दिशा की डौल मेढ़ से लगवा खसरा नम्बर 2752 को गैरसा[illegible] 1 ने तत्कालीन खातेदार घमण्डी पुत्र रामफूल से मु० 7000 [illegible] कब्जा में [illegible] बद 6 सं. 2044 तदानुसार दिनांक 17.06.1987 को खरीदकर कब्जा संभलाया जिसको गैरसायल ने उसके भतीजे को आधा हिस्सा विक्रय कर कब्जा दे दिया है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल संख्या 2 रास्ते के बाद पुख्ता वाउण्ड्री बाल पुख्ता मकान का निर्माण कर रहा है जिससे सायलान को कोई परेशानी नही है।

जबाव प्रार्थनापत्र टी.आई पेशकर अर्ज है कि सायलान का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। खर्चा मुकदमा सायलान से दिलाया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 652, 489 नक्शा ट्रैस ऑनलाइन वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन, गैरसायलान वकील द्वारा जबाबा प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 489 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन, वयनामा दिनांक 17.06.1981, फर्द मौका रिपोर्ट 09.02.2023 पेश किये गये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि सायलान की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी हाल खसरा नं. 2752 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाकेतन ग्राम झारेडा, तहसील हिण्डौन सिटी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में न तो बाधा मजाहमत स्वयं पैदा करें, ना ही किसी अन्य से करावें तथा सायलान की उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में जो रास्ता 10 फीट चौडा हनुमान जी मन्दिर व भौमिया बाबा के स्थान के लिए छोड रखा है, उस पर नींव खोदकर न तो कोई निर्माण स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे सायलान के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे इसका निवेदन किया। वकील गैरसायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि प्रार्थनापत्र हाजा में सायलान द्वारा खसरा नम्बर 2752 के दक्षिण दिशा की तरफ गैरसायलान से 10 फिट रास्ते का विवाद बताया है जिसमें ग्राम पंचायत झारेडा द्वारा श्री हनुमानजी व भौमिया बाबा तक एवं अलीपुरा की सड़क तक [illegible] आम रास्ता इन्टर लॉकिंग सीमेन्ट की ईंटो से निर्माण कर दिया है जिसमें [illegible] 2023 से आवागमन चालू है। गैरसायल नं. खसरा नम्बर 2752 के 10 फिट रास्ते की भूमि में बने रास्ते की भूमि छोडकर खसरा नम्बर 2753 की भूमि में बाउण्ड्री बाल व पुख्ता मकान निर्माण कर रहा है, जिसमें सायलान को कोई परेशानी असुविधा नहीं होने से प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। विवादग्रस्त भूमि पर सायलान का कब्जा नहीं होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested

से प्रार्थनापत्र कब्जे के अभाव में खारिज होने योग्य है। प्रार्थनापत्र हाजा में सायला नम्बर 5, 14 वर्ष की नाबालिग पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.02.2023 में दर्ज होने से सायला नम्बर 5 की ओर से वली अदालत नियुक्त किया जाना आवश्यक है। गैरसायल नं0 3 व 4 को अनावश्यक पक्षकार मुकदमा बनाने से दावा हाजा में पार्टी नुक्स ऐराईज उत्पन्न होता है। खसरा नम्बर 2752 के दक्षिण दिशा की डौल मेढ़ से लगवा खसरा नम्बर 2752 को गैरसायल नं० 1 ने तत्कालीन खातेदार घमण्डी पुत्र रामफूल से मु० 7000 /– रूपया में बैशाख अषाढ बदी 6 सं. 2044 तदानुसार दिनांक 17.06.1987 को खरीदकर कब्जा संभलाया जिसको गैरसायल ने उसके भतीजे को आधा हिस्सा विक्रय कर कब्जा दे दिया है जिसमें गैरसायल संख्या 2 रास्ते के बाद पुख्ता वाउण्ड्री बाल पुख्ता मकान का निर्माण कर रहा है जिससे सायलान को कोई परेशानी नही है।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 652, 489 नक्शा ट्रैस ऑनलाइन वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन के सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान द्वारा अपने वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में गैरसायलान द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे सायलान अपने वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत [illegible] योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 2752 वाके ग्राम [illegible]रेडा तहसील हिण्डौन में मौके की यथास्थिति के संबंध में दिनांक 16.12.2022 को जारी अंतरिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested

स्थगन आदेश विड्रॉ किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 30-5-2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 30/5/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested